संख्या–382/89–नि0अनु0–02/पीएमजीवाई(पु0)/03

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनॉकः 18 अक्टूबर, 2003

विषय– **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को पुष्टाहार योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या–283/पीएमजीवाई/71–01 दिनांक 16 सितम्बर, 2003 एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–44(1)पी0एफ0आई0/2003000110 दिनॉक 08 सितम्बर 2003 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत पुष्टाहार योजाओं के लिए रू0 5.00 करोड़ (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत योजनाओं के लिए ही किया जाय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि न किया जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पोषाहार उत्तम गुणवत्ता क ही वितरण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– आई0सी0डी0एस0 में स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों से विकास खण्ड जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। विकास खण्ड/जिला/राज्य स्तर पर मध्यावधे मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पुष्टाहार वितरण के अनुश्रवण उपरान्त धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31-3–2004 तक शासन/भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

6– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तदविषयक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय व्यय–आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101–प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशास0 पत्र संख्या– 1515/वित्त अनु0– 3/2003 दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 382(1)/89–नि0अनु0–02/पी0एम0जी0वाई0(पु0)/ 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स विल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय(महिला एवं बाल विकास विभाग)शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,उत्तरांचल।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5– अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तरांचल शासन के पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2003 के कम में।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शसन।
6– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
8– गार्ड फाईल हेतु/विभागीय पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

c:\Negi\pmgy